

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

क्रमांक: F-37/Dir(P)/LOP/2012/

दिनांक :-

ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 09.11.2012 का
कार्यवाही विवरण

आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित ले-आऊट प्लान समिति की बैठक दिनांक 09.11.2012 को सांय 5.00 बजे उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित सदस्यों/अधिकारियों ने भाग लिया :-

1. श्री महेन्द्र सिंह, निदेशक (विधि), जोधपुर विकास प्राधिकरण
2. श्री इन्दाराम मेघवंशी, उपायुक्त (पूर्व), जोधपुर विकास प्राधिकरण सदस्य
3. श्री महेन्द्र सिंह, उपायुक्त (पश्चिम), जोधपुर विकास प्राधिकरण सदस्य
4. डॉ. शशि शर्मा, उपायुक्त (दक्षिण), जोधपुर विकास प्राधिकरण सदस्य
5. श्री शैलेन्द्र देवडा, उपायुक्त (उत्तर), जोधपुर विकास प्राधिकरण सदस्य
6. श्री पी.आर. बेनीवाल, उप नगर नियोजक, जो. वि. प्रा. सदस्य
7. श्री नारायणसिंह, तहसीलदार (पूर्व), जो.वि.प्रा. सदस्य
8. श्री एस.एल. सेठी, निदेशक (आयोजना), जो. वि. प्रा. सदस्य सचिव

सर्व प्रथम गत बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करते हुए प्रकरणों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही पर विचार-विमर्श किया गया। तत्पश्चात् समिति के समक्ष निम्नलिखित ले-आऊट प्लान प्रस्तुत किये गये एवं समिति द्वारा उन पर विचार-विमर्श कर उनके आगे अंकितानुसार निर्णय लिए गये :-

1. राजस्व ग्राम खारडा रणधीर के खसरा नम्बर 31 रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक: आशापूर्णा बिल्डकॉन लिमिटेड जरिये निदेशक करणसिंह।
प्रकरण संख्या : 19/2010

उक्त प्रकरण ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 13.09.2012 में विचारार्थ रखा गया था। समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि समिति द्वारा आवेदित भूमि का संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण किया जावे। तदोपरान्त प्रकरण पुनः ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि समिति द्वारा प्रश्नगत भूमि का मौका निरीक्षण कर लिया गया है एवं जोजरी रीवर फ्रन्ट के सम्बन्ध में नगर निगम के पत्र क्रमांक 302, दिनांक 19.08.2012 की प्रति सलंगन कर दी गई है। नगर निगम के पत्र के अनुसार जोजरी रीवर फ्रन्ट परियोजना में अभी तक नदी के खसरे एवं नदी के आस-पास स्थित सरकारी खसरे ही सम्मिलित

92

किये गये हैं। इसके अतिरिक्त निजी खातेदारों की भूमि की अवाप्ति का कोई कार्य प्रस्तावित नहीं है। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर मास्टर प्लान में जोजरी नदी के सहारे-सहारे प्रस्तावित 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान करते हुए प्राची से प्रश्नगत भूमि का संशोधित योजना मानचित्र प्राप्त कर ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति बैठक में विचारार्थ रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्राची को सूचित कर दिया जावे।

2. राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 8/1, 8/3 की रकबा 10.03 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :- श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नि श्री लखाराम

प्रकरण संख्या :- 3388/2008

जोधपुर मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुसार राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 8/1, 8/3 की रकबा 10.03 बीघा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। आवेदित भूमि माननीय उच्च न्यायालय के नये भवन परिसर के दक्षिण दिशा में स्थित है। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का तकनीकी परीक्षण सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। भूके पर भूमि रिक्त है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

उप नगर नियोजक द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूमि में खसरा नम्बर 8/1 व 9/1 की भूमि का योजना मानचित्र पूर्व में परिष्कृत नगर नियोजक, जोधपुर जोन द्वारा अनुमोदित किया गया है। उक्त अनुमोदन के आधार पर भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-बी के अन्तर्गत राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 8/1 व 9/1 की भूमि की भूमि समर्पण सम्बन्धी कार्यवाही भी सम्पादित की गई है। प्राची द्वारा निवेदन किया गया है कि सहवन से झालामण्ड के खसरा नम्बर 8/3 के स्थान पर खसरा नम्बर 9/1 माना जाकर समस्त कार्यवाहियाँ कर दी गई थीं, जिसका राजस्व रेकार्ड में दुरुस्तीकरण करवा दिया गया है। अब प्राची द्वारा खसरा नम्बर 8/1 व खसरा नम्बर 8/3 की भूमि का संयुक्त योजना मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार विमर्श कर प्राची के प्रस्तावानुसार तथा सहायक नगर नियोजक द्वारा किये गये तकनीकी परीक्षण के मध्यमजर राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 8/1 व 8/3 की रकबा 10.03 बीघा भूमि का संशोधित ले-आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं भूके पर सड़कों की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओं आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा परिजका में इन्दाज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्राची को सूचित कर दिया जावे।

3. राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 30 की रकबा 328.93 वर्गगज भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन ।

आवेदक :- श्रीमती सुजीदेवी पत्नि श्री सादाराम

प्रकरण संख्या :- 1877/2005

उक्त प्रकरण ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 13.09.2012 में विचारार्थ रखा गया था, जिस पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रथमतः समिति द्वारा संयुक्त रूप से प्रश्नगत स्थल का मौका निरीक्षण किया जावे तदोपरान्त प्रकरण पुनः ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जावे।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूमि का मौका निरीक्षण कर लिया गया है। मौका रिपोर्ट पत्रावली में कर दी गई है।

उप नगर नियोजक द्वारा अवगत करवाया गया कि राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 11/2, 17/1, 17/मी, 18, 18/1, 19, 20, 21, 21/मी, 22, 27, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5 व 30 की रकबा 228.24 बीघा भूमि का संयुक्त ले-आऊट प्लान वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर द्वारा दिनांक 16.07.2005 को अनुमोदित किया गया था, जिसके अनुसार आवेदित भूमि के पट्टा विलेख जारी किये जाते रहे हैं। उक्त स्वीकृत ले-आऊट प्लान के दक्षिणी-पश्चिमी भाग में भूखण्ड संख्या 755 व 756 के मध्य 30' चौड़ी सड़क प्रस्तावित की गई है तथा सम्बन्धित भूखण्डों की पंक्ति में भूखण्ड संख्या 754 ए व भूखण्ड संख्या 755 से 774 दर्शाये गये हैं।

उपायुक्त (पूर्व), जोधपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय पत्रांक एफ-49/90-बी/पूर्व/2012/439, दिनांक 23.05.2012 द्वारा आवेदक को यह सूचित किया गया कि अनुमोदित ले-आऊट प्लान में अंकित भूखण्ड संख्या 755 व 756 के मध्य स्थित 30' चौड़ी सड़क दर्शायी गई है, लेकिन मौके पर भिन्नता है। अतः अनुमोदित ले-आऊट प्लान के आधार पर मौके की स्थिति नहीं होने का कारण स्पष्ट करे।

इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा दिनांक 11.07.2012 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि भूलवश भूखण्ड संख्या 755 व 756 के मध्य स्थित 30' चौड़ी सड़क मौके पर दक्षिण दिशा में भूखण्ड संख्या 756 के स्थान पर बना दी गई है, इस कारण भूखण्ड संख्या 754 का क्षेत्रफल बढ़ गया है एवं भूखण्ड संख्या 774 मौके पर उपलब्ध नहीं है। अतः प्रार्थी भूखण्ड संख्या 754 व 774 के जारी पट्टों को समर्पित कर भूखण्ड संख्या 754 के बड़े हुए नाप के अनुसार पट्टा विलेख लेना चाहता है एवं तदानुसार आशापूर्णा वैली के योजना मानचित्र में संशोधन चाहता है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के दौरान पाया कि मौके पर डिमारकेशन के दौरान मौका स्थिति एवं अनुमोदित योजना मानचित्र में आई भिन्नता के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। उक्त संशोधन से योजना मानचित्र में देय विक्रय योग्य क्षेत्रफल में कोई भिन्नता नहीं आयेगी। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर प्रार्थी के प्रस्तावानुसार योजना मानचित्र में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। उक्त संशोधन के कारण यदि कोई विपरीत विधिक स्थिति उत्पन्न होती

22

हैं, तो प्रार्थी उक्त स्थिति के लिये स्वयं जिम्मेदार होगा। ऐसी स्थिति में उक्त संशोधन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

4. राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 251 व 251/3 की भूमि में से रकबा 4 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :- श्री जगदीश वगैरह।

प्रकरण संख्या :- 5/2012

राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 251 रकबा 6.01 बीघा मे से 2 बीघा 3 बिस्वा व खसरा नम्बर 251/3 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा कुल 4 बीघा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। प्रश्नगत भूमि पुरानी पाली सडक के दक्षिण-पूर्व दिशा में स्थित है, जिसे सहखातेदारों द्वारा आपसी सहमति से छोड़े गये 40' चौड़े रास्ते से पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया हैं। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंषा की गई है।

उक्त प्रकरण ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 13.09.2012 में विचारार्थ रखे जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि समिति द्वारा आवेदित भूमि का संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण किया जावे तदोपरान्त प्रकरण पुनः ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूमि का मौका निरीक्षण कर लिया गया है। मौका रिपोर्ट पत्रावली में कर दी गई है। आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार विमर्श कर सहायक नगर नियोजक द्वारा किये गये तकनीकी परीक्षण के मध्यनजर ले-आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़कों की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओं आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

5. राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 406/1 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा भूमि का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :- श्री वीरमराम पुत्र श्री रावतराम।

प्रकरण संख्या :- 34/2012

राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 406/1 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में स्थित है, जिस पर प्रार्थी द्वारा फार्म हाऊस प्रस्तावित किए गये हैं। आवेदित भूमि पाली सडक से झालामण्ड जाने वाली सडक के पश्चिम दिशा में स्थित है। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-प.10 (73)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार



हैं, तो प्रार्थी उक्त स्थिति के लिये स्वयं जिम्मेदार होगा। ऐसी स्थिति में उक्त संशोधन स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

4. राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 251 व 251/3 की भूमि में से रकबा 4 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :- श्री जगदीश वगैरह।

प्रकरण संख्या :- 5/2012

राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 251 रकबा 6.01 बीघा में से 2 बीघा 3 बिस्वा व खसरा नम्बर 251/3 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा कुल 4 बीघा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। प्रश्नगत भूमि पुरानी पाली सड़क के दक्षिण-पूर्व दिशा में स्थित है, जिसे सहखातेदारों द्वारा आपसी सहमति से छोड़े गये 40' चौड़े रास्ते से पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 13.09.2012 में विचारार्थ रखे जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि समिति द्वारा आवेदित भूमि का संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण किया जावे तदोपरान्त प्रकरण पुनः ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूमि का मौका निरीक्षण कर लिया गया है। मौका रिपोर्ट पत्रावली में कर दी गई है। आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार विमर्श कर सहायक नगर नियोजक द्वारा किये गये तकनीकी परीक्षण के मध्यनजर ले-आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़कों की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओं आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

5. राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 406/1 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा भूमि का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :- श्री वीरमराम पुत्र श्री रावतराम।

प्रकरण संख्या :- 34/2012

राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा नम्बर 406/1 रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में स्थित है, जिस पर प्रार्थी द्वारा फार्म हाउस प्रस्तावित किए गये हैं। आवेदित भूमि पाली सड़क से झालामण्ड जाने वाली सड़क के पश्चिम दिशा में स्थित है। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-प.10 (73)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार

22

परिधि नियन्त्रण पट्टी में फार्म हाऊस अनुज्ञेय है। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर सम्बन्धित उपायुक्त को प्रश्नगत भूमि का मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट सहित पत्रावली आगामी ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक में विचारार्थ रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

6. राजस्व ग्राम विनायकिया के खसरा नम्बर 74/1, 76 व 76/1 की रकबा 12 बीघा मे से 11 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक:- श्री बंशीलाल वगैराह।

प्रकरण संख्या :- 35/2012

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम विनायकिया के खसरा नम्बर 74/1, 76 व 76/1 की रकबा 12 बीघा मे से 11 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। आवेदित भूमि की समीपीय भूमियों का ले-आऊट प्लान पूर्व में ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसमें से प्रस्तावित सड़कों से आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर सम्बन्धित उपायुक्त को प्रश्नगत भूमि का मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट सहित पत्रावली आगामी ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक में विचारार्थ रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

7. राजस्व ग्राम गुडा विश्नोईयान के खसरा नम्बर 29/5 की रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि का फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।

राजस्व ग्राम गुडा विश्नोईयान के खसरा नम्बर 29/5 की रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार नगरीय क्षेत्र से बाहर परन्तु जोधपुर विकास प्राधिकरण के जोधपुर रीजन में स्थित है, जिस पर प्रार्थी द्वारा एकल फार्म हाऊस प्रस्तावित किया गया है। आवेदित भूमि एस.एस.

डबल्यू.एस. केनाल के सहारे-सहारे स्थित सड़क के पश्चिम दिशा में सड़क पर स्थित है। पूर्व में प्रदत्त स्वीकृतियों में उक्त सड़क का मार्गाधिकार 100' रखते हुए निर्णय लिये जाते रहे हैं। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-प.10 (73)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में फार्म हाऊस अनुज्ञेय हैं। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का उप नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंषा की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंषा की गई है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर सम्बन्धित उपायुक्त को प्रश्नगत भूमि का मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट सहित पत्रावली आगामी ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक में विचारार्थ रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।


8. राजस्व ग्राम सोढ़ेर की ढाणी के खसरा नम्बर 237, 237/1 से 237/5 रकबा 29.17 बीघा भूमि का फार्महाऊस प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :- श्रीमती कमला वगैराह।

प्रकरण संख्या :- 18/12

राजस्व ग्राम सोढ़ेर की ढाणी के खसरा नम्बर 237, 237/1 से 237/5 रकबा 29.17 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा फार्म हाऊस प्रस्तावित किए गये हैं। आवेदित भूमि उचियारडा से बनाड जाने वाली सड़क से जयपुर-जैसलमेर बाईपास सड़क पर जाने वाले राजस्व रास्ते के पूर्व दिशा में स्थित है। प्रार्थी द्वारा उक्त राजस्व रास्ते से प्रश्नगत भूमि तक 40 फीट चौड़ा पहुँच मार्ग प्रस्तावित किया है, जिसका समर्पणनामा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-प.10 (73)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में फार्म हाऊस अनुज्ञेय हैं। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंषा की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंषा की गई है।



समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर प्रश्नगत भूमि का ले-आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक फार्म हाऊस का न्यूनतम क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर रखा जाना होगा तथा भूखण्ड के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा 500 वर्गमीटर जो भी कम हो, आच्छादित क्षेत्र अनुज्ञेय होगा। इसके अतिरिक्त भूखण्ड में प्रत्येक 50 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लिये कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो कि 6 मीटर या इससे अधिक ऊँचाई ग्रहण कर सकते हो, लगाने होंगे। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओं आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

9. राजस्व ग्राम बनाड के खसरा नम्बर 449/1 की रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि का .
आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :- श्रीमती तुलसी देवी वगैरह।

प्रकरण संख्या :- 85/2010

उक्त प्रकरण ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 05.09.2012 में विचारार्थ रखा गया था। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आवेदित भूमि को समीपीय कृषि भूमिया, जिन पर अवैध आवासीय भूखण्ड कटे हुए हैं, से मात्र 25' की एप्रोच उपलब्ध हो रही हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र, दिनांक 25.02.2009 एवं RAJASTHAN TOWNSHIP POLICY 2010 (above 10 Hectares) and Policy For Residential, Group Housing and Other Schemes In The Private Sector (up to 10 Hectares) के अनुसार उक्त आकार की भूमि के लिये न्यूनतम 40' चौड़ी एप्रोच सड़क की आवश्यकता है। अतः समिति द्वारा विचार-विमर्श कर सम्बन्धित उपायुक्त को आवेदित भूमि के लिये पहुँच मार्ग बाबत् रिपोर्ट ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की आगामी बैठक में रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूमि को समीपीय भूमियों से मात्र 25' की एप्रोच ही उपलब्ध हो रही है। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर पहुँच मार्ग के अभाव में प्रकरण निरस्त करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

10. राजस्व ग्राम बनाड के खसरा नम्बर 560, 560/3, 560/5 व 560/7 की रकबा 33.15

बीघा भूमि का फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :- श्री किसनाराम पुत्र श्री मानाराम वगैरह।

प्रकरण संख्या :- 03/2012

राजस्व ग्राम बनाड के खसरा नम्बर 560, 560/3, 560/5, 560/6, 560/7 रकबा 33.15 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा आवासीय वातावरण मैत्री इकाईयां (फार्म हाऊस) प्रस्तावित की गयी हैं। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-प.10 (73)नवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में आवासीय वातावरण मैत्री इकाई (फार्म हाऊस) अनुज्ञेय हैं। आवेदित भूमि बनाड से विश्कोईयो की ढाणी जाने वाले राजस्व रास्ते के दक्षिण दिशा में स्थित हैं। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर अमीन, जोधपुर

विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का तकनीकी परीक्षण उप नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 13.09.2012 में विचारार्थ रखे जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि समिति द्वारा आवेदित भूमि का संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण किया जावे। तदोपरान्त प्रकरण पुनः ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूमि का मौका निरीक्षण कर लिया गया है। मौका रिपोर्ट पत्रावली में अंकित है। आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है, योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर बनाड से बिश्नोईयो की ढाणी जाने वाले राजस्व रास्ते का मार्गाधिकार 60' रखे जाने हेतु रास्ते के मध्य से 30' भूमि छोड़े जाने की शर्त पर प्रश्नगत भूमि का ले-आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक फार्म हाऊस का न्यूनतम क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर रखा जाना होगा तथा भूखण्ड के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा 500 वर्गमीटर जो भी कम हो, आच्छादित क्षेत्र अनुज्ञेय होगा। इसके अतिरिक्त भूखण्ड में प्रत्येक 50 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लिये कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो कि 6 मीटर या इससे अधिक ऊँचाई ग्रहण कर सकते हो, लगाने होंगे। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

11. राजस्व ग्राम मोकलावास के खसरा नम्बर 277/1, 313/1 व 313/2 की रकबा 27 बीघा 15 बिस्वा भूमि का फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :- श्री रामनिवास वगैराह।

प्रकरण संख्या :- 51/2011

उक्त प्रकरण ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 13.04.2012 में विचारार्थ रखा जाकर योजना मानचित्र के उत्तर-पश्चिमी दिशा में प्रस्तावित 100' चौड़ी सड़क के सहारे-सहारे अन्य सामुदायिक सुविधाओ हेतु स्थल स्थान्तरित करते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त कर ले-आऊट प्लान अनुमोदित किया गया था।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रार्थी द्वारा आवेदन कर निवेदन किया है कि उसके प्रस्तावानुसार अन्य सामुदायिक सुविधाओ के लिए आरक्षित स्थल योजना के दक्षिणी भाग में पीछे की तरफ रखा जाकर अनुमोदित किया जावे। प्रार्थी ने इस सम्बन्ध में उप शासन सचिव महोदय को भी अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। उप शासन सचिव-तृतीय के कार्यालय

पत्रांक प.3(152)नविवि/3/2012, दिनांक 24.09.2012 द्वारा इस सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर विभाग को अवगत करवाने हेतु निर्देशित किया है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर प्रार्थी के प्रस्तावानुसार योजना मानचित्र के उत्तर-पश्चिमी दिशा में अन्य सामुदायिक सुविधाओ हेतु स्थल हेतु भूमि आरक्षित करते हुए योजना मानचित्र पर आगामी कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

12. राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा नम्बर 21/5 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन।

आवेदक: श्री जयराम पुत्र श्री गिरधारीराम।

प्रकरण संख्या : 50/11

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 14.03.2012 में विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदित भूमि के पूर्वी भाग में दर्शित मास्टर प्लान में प्रस्तावित 200' चौड़ी सड़क के एलाईनमेन्ट के सम्बन्ध में प्राधिकरण की बैठक में निर्णय लिये जाने के उपरान्त उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जानी होगी। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.06.2012 में मास्टर प्लान में प्रस्तावित 200' सड़क के एलाईनमेन्ट के सम्बन्ध में विचार विमर्श कर इसके एलाईनमेन्ट परिवर्तन के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा समुचित निर्णय लेने के लिये अधिकृत किया गया है।

उक्त प्रकरण पुनः ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 25.07.2012 में विचारार्थ रखे जाने पर सचिव द्वारा अवगत करवाया कि मास्टर प्लान में प्रस्तावित 200' सड़क के एलाईनमेन्ट बाबत् निर्णय होना शेष है। अतः समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर मास्टर प्लान में प्रस्तावित 200' सड़क के एलाईनमेन्ट के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा निर्णय लेने के उपरान्त ही प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जावे।

उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि मास्टर प्लान में प्रस्तावित 200' चौड़ी सड़क का एलाईनमेन्ट किसी भी प्रकार से निर्धारित किये जाने से भी आवेदित भूमि के पूर्वी भाग में दर्शित मास्टर प्लान में प्रस्तावित 200' चौड़ी सड़क की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात् प्रश्नगत भूमि के पूर्वी भाग में उक्त सड़क की स्थिति समान ही रहती है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर प्रश्नगत भूमि का ले-आउट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। यदि मास्टर प्लान में प्रस्तावित 200' चौड़ी सड़क के एलाईनमेन्ट निर्धारण से प्रश्नगत भूमि पर किसी भी प्रकार का प्रभाव पड़ता है, तो आवेदक को तदानुसार मानचित्र में संशोधन करवाना होगा। आवेदक से इस आशय का शपथ-पत्र भी प्राप्त किया जावे। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

21

13. राजस्व ग्राम भदवासिया के खसरा नम्बर 75/1 रकबा 2 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक: श्री गोपीकिशन पुत्र श्री बाबूराम।
प्रकरण संख्या : 115/11

उक्त प्रकरण पूर्व में ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 13.04.2012 व दिनांक 13.09.2012 में विचारार्थ रखा गया था। प्रकरण के सम्बन्ध में समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि समिति द्वारा आवेदित भूमि का संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण किया जावे तदोपरान्त प्रकरण पुनः ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूमि पर मौके पर चारदीवारी का निर्माण किया हुआ है। भूमि पर दो मकान बने हुए हैं। प्रश्नगत भूमि के पश्चिम व दक्षिण में स्थित समीपीय कोलोनी से 30' का पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र, दिनांक 25.02.2009 एवं RAJASTHAN TOWNSHIP POLICY-2010 (above 10 Hectares) and Policy For Residential, Group Housing and Other Schemes In The Private Sector (up To 10 Hectares) के अनुसार उक्त आकार की भूमि के लिये न्यूनतम 40' चौड़ी एप्रोच सड़क की आवश्यकता है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि पहुँच मार्ग बाबत सम्बन्धित उपायुक्त से रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

14. राजस्व ग्राम सुरपूरा के खसरा नम्बर 277 रकबा 7.19 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक: श्री रामकुमार पुत्र रतनाराम।
प्रकरण संख्या : 1106/2012

राजस्व ग्राम सुरपूरा के खसरा नम्बर 277 की रकबा 7.19 बीघा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। प्रश्नगत भूमि आंगणवा से भोपालगढ सड़क को जाने वाली सड़क के उत्तर दिशा में स्थित है। प्रश्नगत भूमि को मुख्य सड़क से सरकारी भूमि से होकर 60' चौड़ा पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 13.09.2012 में विचारार्थ रखे जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि समिति द्वारा आवेदित भूमि का संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण किया जावे। तदोपरान्त प्रकरण पुनः ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूमि का मौका निरीक्षण कर लिया गया है। मौका रिपोर्ट पत्रावली में अंकित है। आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है, योजना की भूमि में पहुँच मार्ग के रूप में राजकीय भूमि सम्मिलित है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर प्रश्नगत भूमि का आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। प्रश्नगत भूमि पर जाने वाला रास्ता सरकारी भूमि में से होकर जाता है, अतः प्रार्थी को रास्ते में आने वाली सरकारी भूमि की कीमत नियमानुसार जमा करवाई जानी होगी। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओं, पहुँच मार्ग आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

15. राजस्व ग्राम इन्द्रोका के खसरा नम्बर 47 रकबा 83.17 बीघा भूमि का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन।

आवेदक: श्री गोबरराम पुत्र सुखाराम वगैरह।

प्रकरण संख्या : 19/2012

राजस्व ग्राम इन्द्रोका के खसरा नम्बर 47 रकबा 83.17 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार नगरीय क्षेत्र से बाहर परन्तु जोधपुर विकास प्राधिकरण के जोधपुर रीजन में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा फार्म हाउस प्रस्तावित किए गये हैं। आवेदित भूमि तिवरी सड़क के पूर्व दिशा में जाने वाली ग्रेवल सड़क पर स्थित है। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-प.10 (73)नवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में फार्म हाउस अनुज्ञेय हैं। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि तिवरी सड़क के पूर्व दिशा में जाने वाली ग्रेवल सड़क प्रश्नगत भूमि के सहारे-सहारे गुजरती है, जिससे प्रश्नगत भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर आवेदित भूमि तक पहुँच मार्ग सम्बन्धी रिपोर्ट करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

21

16. राजस्व ग्राम माणकलाव के खसरा नम्बर 112/5 रकबा 12 बीघा भूमि का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन।

आवेदक: श्री कानाराम पुत्र मंगलाराम वगैराह।

प्रकरण संख्या : 25/2012

राजस्व ग्राम माणकलाव के खसरा नम्बर 112/5 रकबा 12 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार नगरीय क्षेत्र से बाहर परन्तु जोधपुर विकास प्राधिकरण के जोधपुर रीजन में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा फार्म हाउस प्रस्तावित किए गये हैं। आवेदित भूमि जोधपुर-फलौदी सड़क के उत्तर दिशा में जाने वाली महानरेगा सड़क के पश्चिम में स्थित है। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-प.10 (73)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में फार्म हाउस अनुज्ञेय हैं। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर प्रश्नगत भूमि पर उपलब्ध होने वाले पहुँच मार्ग के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

17. राजस्व ग्राम दर्ईजर के खसरा नम्बर 231 रकबा 26 बीघा 14 बिस्वा भूमि का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन।

आवेदक: श्रीमती झमकुदेवी वगैराह।

प्रकरण संख्या : 7/2012

उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 25.07.2012 में निर्णय लिया गया कि प्रार्थी प्रथमतः आवेदित भूमि हेतु पहुँच मार्ग की स्थिति स्पष्ट करे। पहुँच मार्ग की उपलब्धता एवं प्रार्थी से स्थल की 200 मीटर परिधि का सर्वेक्षण नक्शा/कुल स्टेशन सर्वेक्षण, योजना मानचित्र में विद्युत हाईटेंशन लाईन की स्थिति व उक्त विद्युत हाईटेंशन लाईन के नीचे 60' चौड़ी सड़क का प्रावधान व नियमों में प्रावधानित अन्य आवश्यक सूचनाएँ प्राप्त करने के उपरान्त प्रकरण ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक में विचारार्थ रखा जावे।

प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 04 की अधिसूचना एवं धारा 06/17 की अधिसूचना के समाचार-पत्र में प्रकाशन की प्रति, गजट नोटिफिकेशन की प्रति एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अवाप्ति हेतु दिये गये नोटिस की प्रति, वाछिंत पी.टी. सर्वे व योजना मानचित्र में विद्युत हाईटेंशन लाईन की स्थिति तथा

92

उक्त विद्युत हाईटेंशन लाईन के नीचे 60' चौड़ी सड़क का प्रावधान करते हुए सूचनाएं उपलब्ध करवाई गई।

तत्पश्चात् प्रकरण पुनः ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 05.09.2012 में विचारार्थ रखे जाने पर समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर सम्बन्धित उपायुक्त को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित सड़क की मौके पर क्रियान्विति तथा वर्तमान में आवेदित भूमि तक जाने वाले रास्ते के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट से समिति को अवगत करवाने हेतु निर्देशित किया गया।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि मौके पर सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उक्त सड़क के मुटाम लगा दिये गये हैं व भूमि भी अवाप्त कर ली गई है। मौके पर सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। अतः समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर मौके पर सड़क की क्रियान्विति तक प्रकरण स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

18. राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा नम्बर 440 रकबा 3 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ
ले-आउट प्लान अनुमोदन।

आवेदक: श्री मंगलसिंह पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण वगैराह।

प्रकरण संख्या : 24/2012

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा नम्बर 440 रकबा 3 बीघा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। आवेदित भूमि की समीपीय भूमियों का ले-आऊट प्लान पूर्व में ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसमें से प्रस्तावित सड़को से आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है।

उप नगर नियोजक द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूमि के पश्चिम में स्थित समीपीय कोलोनी से 30' का पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र, दिनांक 25.02.2009 एवं RAJASTHAN TOWNSHIP POLICY-2010 (above 10 Hectares) and Policy For Residential, Group Housing and Other Schemes In The Private Sector (up To 10 Hectares) के अनुसार उक्त आकार की भूमि के लिये न्यूनतम 40' चौड़ी एप्रोच सड़क की आवश्यकता है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर पहुँच मार्ग के सम्बन्ध में रिपोर्ट करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

24

19. राजस्व ग्राम कडवड के खसरा नम्बर 222/1 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा भूमि का फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन।

आवेदक: श्रीमती लक्ष्मी पत्नि श्री हंसराज वगैराह।

राजस्व ग्राम कडवड के खसरा नम्बर 222/1 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा फार्म हाऊस प्रस्तावित किए गये हैं। आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में स्थित समीपीय भूमि का फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ योजना मानचित्र पूर्व में अनुमोदित किया गया था। उक्त अनुमोदित योजना मानचित्र के दक्षिण में एक 100 फीट चौड़ी सड़क प्रस्तावित की गई है। प्रश्नगत भूमि उक्त प्रस्तावित सड़क पर के दक्षिण दिशा में सड़क पर स्थित है। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-प.10 (73)नवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में फार्म हाऊस अनुज्ञेय हैं। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार 100' रखे जाने हेतु आवश्यक भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने की शर्त पर ले-आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक फार्म हाऊस का न्यूनतम क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर रखा जाना होगा तथा भूखण्ड के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा 500 वर्गमीटर जो भी कम हो, आच्छादित क्षेत्र अनुज्ञेय होगा। इसके अतिरिक्त भूखण्ड में प्रत्येक 50 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लिये कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो कि 6 मीटर या इससे अधिक ऊँचाई ग्रहण कर सकते हो, लगाने होंगे। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

20. राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा नम्बर 26/2/2 रकबा 2.05 बीघा भूमि का पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन।

आवेदक: श्री मनोहरलाल पुत्र तुलसीराम पालीवाल।

प्रकरण संख्या : 236/2010

राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा नम्बर 26/2/2 रकबा 2.05 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा पेट्रोल-पम्प प्रस्तावित किया गया

है। आवेदित भूमि जोधपुर-सालावास सड़क के उत्तर दिशा में सड़क पर स्थित है। जोधपुर मास्टर प्लान में जोधपुर-सालावास सड़क का मार्गाधिकार 200 फीट निर्धारित किया गया है। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-पं.10 (35)नविवि/3/2010 पार्ट-1 जयपुर दिनांक 23.08.2012 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में पेट्रोल-पम्प अनुज्ञेय उपयोग है। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंषा की गई है।


सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंषा की गई है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित जोधपुर-सालावास सड़क का मार्गाधिकार 200' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 100' भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पित किये जाने की शर्त पर ले-आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। पेट्रोल-पम्प स्थापना में इण्डियन रोड कांग्रेस/एम.ओ.आर.टी.एच./भवन विनियमों के मानदण्डों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी। पेट्रोल-पम्प स्थापना से पूर्व राजस्थान भवन विनियम-2010 (संशोधित) (जयपुर को छोड़कर अन्य प्रथम श्रेणी के शहरों एवं भिवाड़ी के लिए) के प्रावधानों के अनुरूप सक्षम स्तर पर भवन मानचित्र स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

21. राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा नम्बर 135 रकबा 4.16 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक: श्री बुद्धाराम पुत्र स्व.श्री रुगाराम वगैराह।
प्रकरण संख्या : 31/2012

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा नम्बर 135 रकबा 4.16 बीघा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। आवेदित भूमि मुख्य पाली सड़क से भाकरासनी गाँव जाने वाले राजस्व रास्ते के उत्तर-पूर्व दिशा में स्थित है। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंषा की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है।



समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर मुख्य पाली सड़क से भाकरासनी गाँव जाने वाले राजस्व रास्ते का मार्गाधिकार 60' रखे जाने हेतु सड़क के मध्य से 30' भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण के हक में निःशुल्क समर्पण की शर्त पर प्रश्नगत भूमि का आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ, पहुँच मार्ग आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

22. राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा नम्बर 152 रकबा 3 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक: श्री हरेन्द्रपालसिंह पुत्र श्री तेजप्रतापसिंह।

प्रकरण संख्या : 31/2012

राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा नम्बर 152 की रकबा 3 बीघा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। प्रश्नगत भूमि भाकरासनी गाँव जाने वाली सड़क के पूर्व दिशा में सड़क पर स्थित है, जिससे आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 03.10.2012 में विचारार्थ रखा गया था। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया कि उक्त क्षेत्र में बनाये गये रोड नेटवर्क प्लान के प्रस्तावानुसार आवेदित भूमि के पीछे से एक 100' चौड़ी सैक्टर रोड गुजरती है, जिसको योजना मानचित्र में प्रस्तावित नहीं किया गया है। अतः समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रार्थी से रोड नेटवर्क प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप सड़कें दर्शित करते हुए नवीन मानचित्र प्राप्त किया जावे। तदोपरान्त प्रकरण पुनः ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

प्रार्थी द्वारा रोड नेटवर्क प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप सड़कें दर्शित करते हुए नवीन मानचित्र प्रस्तुत किये गये हैं। सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि नवीन मानचित्रों के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नगत भूमि का मौका निरीक्षण उनके द्वारा नहीं किया गया। अतः समिति द्वारा विचार-विमर्श कर सम्बन्धित उपायुक्त को प्रश्नगत भूमि का प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नवीन मानचित्रों के परिप्रेक्ष्य में मौका निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट सहित प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

23. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 390/1 रकबा 12 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक: श्री काशीराम वगैराह।

प्रकरण संख्या : 21/2012

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 390/1 रकबा 12 बीघा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के

अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंषा की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आवेदित भूमि के दक्षिण-पश्चिमी भाग के समीप की भूमि में पानी का भराव है। समिति द्वारा सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि वे सुनिश्चित करे, कि प्रश्नगत भूमि किसी नाडी/जल क्षेत्र के जलभराव क्षेत्र में तो नहीं आ रही है एवं सरकारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता नाडी की जमीन तो नहीं है ? यदि प्रश्नगत भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार नाडी के समीप है, तो जल संसाधन विभाग से प्रश्नगत भूमि नाडी के जलभराव क्षेत्र से प्रभावित नहीं होने के सम्बन्ध में रिपोर्ट भी प्राप्त की जावे। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

24. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 628/65 की रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा 07 बिस्वांसी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन ।

आवेदक :- मैसर्स वीतराग बिल्डकॉन जरिये पृथ्वीराज गुलेच्छा

प्रकरण संख्या :- 24/2012

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 628/65 की रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा 07 बिस्वांसी भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। प्रश्नगत भूमि जयपुर-जैसलमेर बाईपास सड़क के पश्चिम दिशा में जाने वाले रास्ते के दक्षिण में रास्ते पर स्थित है। प्रार्थी द्वारा आवासीय एकल पट्टा (ग्रुप हाऊसिंग प्रयोजनार्थ) हेतु आवेदन किया गया है। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंषा की गई है।

उक्त प्रकरण ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 12.10.2012 में विचारार्थ रखे जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदित भूमि तक 40' चौड़े पहुँच मार्ग की सुनिश्चितता के उपरान्त प्रकरण समिति के समक्ष रखे जाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। तदोपरान्त प्रकरण पुनः ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूमि का मौका निरीक्षण कर लिया गया है। आवेदित भूमि को 40' चौड़ा पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। प्रार्थी द्वारा समीपीय भूमि के पट्टा विलेख भी प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें उक्त पहुँच मार्ग का मार्गाधिकार 40' दर्शित किया गया है। मौका रिपोर्ट पत्रावली में अंकित है। आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है।

24

योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर प्रश्नगत भूमि का आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। चूकिं प्रार्थी द्वारा एकल पट्टे हेतु आवेदन किया गया है। एकल पट्टा जारी करने हेतु प्राधिकरण की अधिकारिता 10000 वर्गमीटर तक की है, अतः पट्टा जारी करने से पूर्व राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

25. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 379/1 रकबा 4 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन।

आवेदक: श्री रूपाराम वगैराह।

प्रकरण संख्या : 64/2011

राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 379/1 की रकबा 4 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित होकर पाल-सांगरिया सड़क से दक्षिण में जाने वाले राजस्व रास्ते के पूर्व दिशा में स्थित है। उक्त आवेदित भूमि की समीपीय भूमियों पर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये हैं तथा पूर्व स्वीकृति के अनुसार आवेदित भूमि के लिए पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। उक्त सड़क को 40' दर्शाते हुए आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान में प्रावधानिक किया गया है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण कर ले-आऊट प्लान स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 03.10.2012 में विचारार्थ रखे जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर आवेदित भूमि के योजना मानचित्र में प्रस्तावित सड़को का समीपीय भूमियों के अनुमोदित योजना मानचित्र में प्रस्तावित सड़कों से मिलान/निरन्तरता की सुनिश्चितता हेतु आवेदक से समीपीय भूमियों के अनुमोदित योजना मानचित्र प्राप्त किये जावे। समीपीय भूमियों के अनुमोदित योजना मानचित्र में प्रस्तावित सड़कों को प्रश्नगत भूमि के योजना मानचित्र से लिंक/मिलान करने के उपरान्त प्रकरण समिति की आगामी बैठक में रखा जावे।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत भूमि का मौका निरीक्षण कर लिया गया है। आवेदित भूमि को समीपीय योजनाओं से 40' चौड़ा पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। प्रार्थी द्वारा समीपीय भूमि के पट्टा विलेख भी प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें उक्त पहुँच मार्ग का मार्गाधिकार 40' दर्शित किया गया है। मौका रिपोर्ट पत्रावली में अंकित है। आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है, योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है।

21

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर प्रश्नगत भूमि का आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ, पहुँच मार्ग आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

26. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 366/2 रकबा 5 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन।

आवेदक: श्रीमती तीजादेवी पत्नि श्री गिरधारीराम।

प्रकरण संख्या : 30/2012

राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 366/2 रकबा 5 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित होकर मास्टर प्लान में प्रस्तावित 100' चौड़ी सड़क के पश्चिम दिशा में स्थित है। उक्त भूमि के पूर्वी भाग में एक विद्युत हाईटेंशन लाईन विद्यमान हैं, जिसके नीचे 60' चौड़ी सड़क प्रावधानिक की गई है। प्रस्तुत ले-आउट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया हैं। आवेदित भूमि के ले-आउट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण कर ले-आउट प्लान स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई हैं। उक्त प्रकरण में ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आउट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं हैं, योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं हैं तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं हैं। मौके पर भूमि रिक्त हैं।

उप नगर नियोजक द्वारा अवगत करवाया गया कि यद्यपि भूमि को मास्टर प्लान में प्रस्तावित 100' चौड़ी सड़क व विद्युत हाईटेंशन लाईन के नीचे प्रस्तावित 60' चौड़ी सड़क से पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है, परन्तु भूमि लम्बवत आकार में होने के कारण पश्चिम दिशा में पीछे की तरफ के भूखण्डो को समीपीय भूमि से मात्र 30' चौड़ी सड़क से ही पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। समीपीय योजना में कृषि भूखण्ड काटे हुए है एवं योजना प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं है।

समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदित भूमि के उत्तरी भाग में स्थित भूखण्डो को पहुँच मार्ग की उपलब्धता के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

27. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 322/1 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन।

आवेदक: श्रीमती शान्तीदेवी पत्नि श्री ढलाराम।

प्रकरण संख्या : 37/2012

राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 322/1 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है, जिसका राज्य स्तरीय

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर प्रश्नगत भूमि का आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओ, पहुँच मार्ग आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

26. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 366/2 रकबा 5 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन।

आवेदक: श्रीमती तीजादेवी पत्नि श्री गिरधारीराम।

प्रकरण संख्या : 30/2012

राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 366/2 रकबा 5 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित होकर मास्टर प्लान में प्रस्तावित 100' चौड़ी सड़क के पश्चिम दिशा में स्थित है। उक्त भूमि के पूर्वी भाग में एक विद्युत हाईटेंशन लाईन विद्यमान हैं, जिसके नीचे 60' चौड़ी सड़क प्रावधानिक की गई है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण कर ले-आऊट प्लान स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है, योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है।

उप नगर नियोजक द्वारा अवगत करवाया गया कि यद्यपि भूमि को मास्टर प्लान में प्रस्तावित 100' चौड़ी सड़क व विद्युत हाईटेंशन लाईन के नीचे प्रस्तावित 60' चौड़ी सड़क से पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है, परन्तु भूमि लम्बवत आकार में होने के कारण पश्चिम दिशा में पीछे की तरफ के भूखण्डो को समीपीय भूमि से मात्र 30' चौड़ी सड़क से ही पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। समीपीय योजना में कृषि भूखण्ड काटे हुए है एवं योजना प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं है।

समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदित भूमि के उत्तरी भाग में स्थित भूखण्डो को पहुँच मार्ग की उपलब्धता के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

27. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 322/1 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन।

आवेदक: श्रीमती शान्तीदेवी पत्नि श्री ढलाराम।

प्रकरण संख्या : 37/2012

राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 322/1 रकबा 12 बीघा 3 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है, जिसका राज्य स्तरीय

भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक क्रमांक 116, दिनांक 19.06.2012 में आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया गया है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि की समीपीय भूमियों के ले-आऊट प्लान इस कार्यालय द्वारा पूर्व में अनुमोदित किये गये हैं, जिनमें से प्रस्तावित 40' चौड़ी सड़क से आवेदित भूमि को एप्रोच उपलब्ध होती है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा विचार विमर्श कर राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा अध्यारोपित शर्तों की सुनिश्चितता के मददेनजर प्रश्नगत भूमि का ले-आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओं आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

28. राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा नम्बर 315 व 316 रकबा 31 बीघा 10 बिस्वा 02 बिस्वांसी भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक: श्री ओमसिंह वगैराह
प्रकरण संख्या : 47/2011

उक्त प्रकरण दिनांक 12.10.2012 को आयोजित ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक में विचारार्थ रखे जाने पर समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवेदित भूमि का तरमीम मानचित्र प्राप्त किया जावे तथा समिति के पूर्व निर्णय की पालना किए जाने के उपरान्त प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

29. राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा नम्बर 365, 369 व 370 की रकबा 30 बीघा 11 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक: मैसर्स राजलक्ष्मी इन्फ्रा प्रा.लि.।
प्रकरण संख्या : 65/2011

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा नम्बर 365, 369 व 370 की रकबा 30 बीघा 11 बिस्वा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। आवेदित भूमि के दक्षिण भाग में मास्टर प्लान में प्रस्तावित 160' चौड़ी सड़क स्थित है। आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में स्थित समीपीय भूमि का ले-आऊट प्लान पूर्व में ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित है, जिसमें प्रस्तावित सड़को से आवेदित भूमि को एप्रोच उपलब्ध होती है। प्रस्तुत ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के

92

ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है। उक्त प्रकरण में ले-आऊट प्लान अनुमोदन हेतु गठित उप समिति द्वारा ले-आऊट प्लान अनुमोदन की अनुशंषा की गई है।


उक्त प्रकरण ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 25.07.2012 में विचार-विमर्श के दौरान निदेशक (आयोजना) द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान में गैर मुमकिन रास्ते की सरकारी भूमि व ढाणी की भूमि सम्मिलित है, अतः ले-आऊट प्लान अनुमोदन से पूर्व सरकारी जमीन के निस्तारण की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के दक्षिणी भाग में जोजरी नदी के सहारे-सहारे मास्टर प्लान में प्रस्तावित 160' चौड़ी सड़क व जोजरी नदी के सहारे-सहारे स्थित वृक्षारोपण पट्टी के सम्बन्ध में भी स्थिति स्पष्ट करवाई जानी अपेक्षित है। आयुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रार्थी द्वारा आवेदित भूमि जोजरी नदी के सहारे-सहारे स्थित है। चूंकि जोजरी नदी के सहारे-सहारे जोजरी रीवर फ्रन्ट बनाया जाना प्रस्तावित है एवं प्राधिकरण की बैठक, दिनांक 30 नवम्बर, 2011 में यह निर्णय लिया गया है कि उक्त परियोजना के लिए नगर निगम को नोडल एजेन्सी बनाया गया है। अतः इस सम्बन्ध में नगर निगम के अद्यक्ष अभियन्ता से रिपोर्ट लिया जाना उचित होगा।

अतः समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रार्थी प्रथमतः आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान में सम्मिलित राजकीय भूमि के आवंटन हेतु नियमानुसार प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन करे। चूंकि ढाणी की भूमि भी ले-आऊट प्लान में सम्मिलित हैं, अतः उसके नियमन हेतु भी आवेदन किया जाना होगा। उक्त आवेदित भूमि जोजरी रीवर फ्रन्ट योजना में सम्मिलित तो नहीं है, इस बाबत नगर निगम से रिपोर्ट प्राप्त की जावे। आवेदित भूमि को समीपीय भूमि से एप्रोच उपलब्ध होती है, अतः समीपीय भूमि के स्वीकृत ले-आऊट प्लान की प्रति समिति के समक्ष प्रस्तुत की जावे। मास्टर प्लान में दर्शित वृक्षारोपण पट्टी के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जावे। साथ ही प्रार्थी से स्थल का सर्वेक्षण नक्शा/कुल स्टेशन सर्वेक्षण व नियमों में प्रावधानित अन्य आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करने के उपरान्त प्रकरण ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक में विचारार्थ रखा जावे।

प्रार्थी ने समिति द्वारा अपेक्षित सूचनाएं प्रस्तुत नहीं की हैं, अतः समिति द्वारा सूचनाओं के अभाव में प्रकरण स्थगित रखने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

30. राजस्व ग्राम मोगड़ा कंला के खसरा नम्बर 105/2 की रकबा 1.94 बीघा भूमि का फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्री नारायण राम
प्रकरण संख्या 88/2012

राजस्व ग्राम मोगड़ा कंला के खसरा नम्बर 105/2 की रकबा 1.94 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा फार्म हाऊस प्रस्तावित किया गया है। उक्त भूमि पाली से सालावास सड़क के उत्तर दिशा में मुख्य सड़क स्थित हैं, जिससे आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-प.10 (73)नविदि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में फार्म हाऊस अनुज्ञेय हैं। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण



किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

उक्त प्रकरण ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 03.10.2012 में विचारार्थ रखे जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूमि पर सेटबैक लगाने के पश्चात् न्यूनतम आच्छादित क्षेत्र की उपलब्धता का तकनीकी परीक्षण कर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।

सहायक नगर नियोजक द्वारा अवगत करवाया गया कि राजस्थान भवन विनियम-2010 के प्रावधानों में फार्म हाऊस का न्यूनतम आकार 2500 वर्गमीटर एवं अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 10 प्रतिशत अनुज्ञेय किया गया है। प्रार्थी द्वारा आवेदित फार्म हाऊस का आकार 2500 वर्गमीटर से अधिक है एवं आच्छादित क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रार्थी ने निवेदन किया है कि सैट बैक्स छोड़ने के उपरान्त जितना भी आच्छादित क्षेत्र प्राप्त होता है, प्रार्थी को स्वीकार है। राजस्थान भवन विनियम-2010 के प्रावधानों में न्यूनतम आच्छादित क्षेत्र की बाध्यता नहीं है। मौका रिपोर्ट पत्रावली में अंकित है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है, योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर सालावास-बोरानाडा सड़क का मार्गाधिकार 160' रखे जाने हेतु सड़क की मध्य रेखा से 80' भूमि छोड़े जाने की शर्त पर आवेदित भूमि का ले-आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। प्रार्थी से इस आशय का शपथ-पत्र भी प्राप्त किया जावे कि प्रश्नगत प्रकरण में सैटबैक्स छोड़ने के उपरान्त जितना भी आच्छादित क्षेत्रफल प्राप्त होगा, उससे अधिक की वह मांग नहीं करेगा। उक्त प्रकरण में प्रस्तावित भूमि को एकल भूखण्ड के रूप में रखा जायेगा और इसमें किसी प्रकार का उप विभाजन नहीं किया जायेगा। फार्म हाऊस का न्यूनतम क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर रखा जाना होगा तथा भूखण्ड के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा 500 वर्गमीटर जो भी कम हो, आच्छादित क्षेत्र अनुज्ञेय होगा। इसके अतिरिक्त भूखण्ड में प्रत्येक 50 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लिये कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो कि 6 मीटर या इससे अधिक ऊँचाई ग्रहण कर सकते हो, लगाने होंगे। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओं आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

31. राजस्व ग्राम मोगड़ा कंला के खसरा नम्बर 105/2/1 की रकबा 1.94 बीघा भूमि का फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्री रामदेव पुत्र श्री बन्नाराम
प्रकरण संख्या 87/2012

राजस्व ग्राम मोगड़ा कंला के खसरा नम्बर 105/2/1 की रकबा 1.94 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में स्थित है, जिस पर प्रार्थी द्वारा फार्म हाऊस प्रस्तावित किया गया है। उक्त भूमि पाली से सालावास सड़क के उत्तर दिशा में मुख्य सड़क स्थित है, जिससे

आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-प.10 (73)नविवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में फार्म हाऊस अनुज्ञेय हैं। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

उक्त प्रकरण ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 03.10.2012 में विचारार्थ रखे जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूमि पर सेटबैक लगाने के पश्चात् न्यूनतम आच्छादित क्षेत्र की उपलब्धता का तकनीकी परीक्षण कर प्रकरण आगामी बैठक में रखा जावे।

सहायक नगर नियोजक द्वारा अवगत करवाया गया कि राजस्थान भवन विनियम-2010 के प्रावधानों में फार्म हाऊस का न्यूनतम आकार 2500 वर्गमीटर एवं अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 10 प्रतिशत अनुज्ञेय किया गया है। प्रार्थी द्वारा आवेदित फार्म हाऊस का आकार 2500 वर्गमीटर से अधिक है एवं आच्छादित क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रार्थी ने निवेदन किया है कि सैट बैक्स छोड़ने के उपरान्त जितना भी आच्छादित क्षेत्र प्राप्त होता है, प्रार्थी को स्वीकार है। राजस्थान भवन विनियम-2010 के प्रावधानों में न्यूनतम आच्छादित क्षेत्र की बाध्यता नहीं है। मौका रिपोर्ट पत्रावली में अंकित है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है, योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैद्य है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर सालावास-बोरानाडा सड़क का मार्गाधिकार 160' रखे जाने हेतु सड़क की मध्य रेखा से 80' भूमि छोड़े जाने की शर्त पर आवेदित भूमि का ले-आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। प्रार्थी से इस आशय का शपथ-पत्र भी प्राप्त किया जावे कि प्रश्नगत प्रकरण में सैटबैक्स छोड़ने के उपरान्त जितना भी आच्छादित क्षेत्रफल प्राप्त होगा, उससे अधिक की वह मांग नहीं करेगा। उक्त प्रकरण में प्रस्तावित भूमि को एकल भूखण्ड के रूप में रखा जायेगा और इसमें किसी प्रकार का उप विभाजन नहीं किया जायेगा। फार्म हाऊस का न्यूनतम क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर रखा जाना होगा तथा भूखण्ड के क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा 500 वर्गमीटर जो भी कम हो, आच्छादित क्षेत्र अनुज्ञेय होगा। इसके अतिरिक्त भूखण्ड में प्रत्येक 50 वर्गमीटर क्षेत्रफल के लिये कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो कि 6 मीटर या इससे अधिक ऊँचाई ग्रहण कर सकते हो, लगाने होंगे। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पार्क, सुविधाओं आदि हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

32. राजस्व ग्राम सालावास के खसरा नम्बर 51/28 व 51/30 की रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा भूमि का कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्री तारुराम वगैराह।

प्रकरण संख्या 33/2012

राजस्व ग्राम सालावास के खसरा नम्बर 51/28 व 51/30 की रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा कृषि आधारित उद्योग प्रस्तावित किया गया है। उक्त भूमि पाली से सालावास सड़क के उत्तर दिशा में मुख्य सड़क स्थित हैं, जिससे आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-प.10 (73)नवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में कृषि आधारित उद्योग अनुज्ञेय हैं। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है, योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर सालावास-बोरानाडा सड़क का मार्गाधिकार 160' रखे जाने हेतु सड़क की मध्य रेखा से 80' भूमि एवं प्रश्नगत भूमि के पीछे स्थित राजस्व रास्ते का मार्गाधिकार 60' रखे जाने हेतु रास्ते के मध्य से 30' भूमि छोड़े जाने की शर्त पर आवेदित भूमि का ले-आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। उक्त प्रकरण में प्रस्तावित भूमि को एकल भूखण्ड के रूप में रखा जायेगा और इसमें किसी प्रकार का उप विभाजन नहीं किया जायेगा। प्रस्तावित भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी के अन्तर्गत विद्यमान है, अतः उक्त भूमि पर प्रस्तावित कृषि आधारित लघु उद्योग की भावना के अनुरूप प्रदूषण मुक्त हो, कि सुनिश्चितता के लिये आवेदक से शपथ-पत्र लिया जावे, जिससे इस क्षेत्र का इकोलोजिकल बैलेंस (ECOLOGICAL BALANCE) सुनिश्चित हो सके। प्रकरण में न्यूनतम निर्माण कार्य की शर्त पर सघन वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जावे तथा नियमानुसार कृषि आधारित लघु उद्योग वातावरण मैत्री (ENVIRONMENT FRIENDLY) हो, सुनिश्चित किया जावे।

समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण में स्वीकृति मास्टर प्लान प्रावधानों की भावना के अनुरूप "कृषि आधारित लघु उद्योग" हेतु जारी की जा रही हैं, अतः नियमानुसार इसकी प्रकृति में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर नियमन स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। साथ ही उक्त भूमि पर प्रस्तावित "कृषि आधारित लघु उद्योग" सक्षम विभाग द्वारा कृषि आधारित लघु उद्योग हेतु निर्धारित श्रेणी के अन्तर्गत ही हैं, यह सुनिश्चित किया जावे तथा इस बाबत राज्य सरकार द्वारा "कृषि आधारित लघु उद्योग" बाबत जारी समस्त दिशा निर्देशों एवं प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे।

पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पहुँच मार्ग हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

33. राजस्व ग्राम सालावास के खसरा नम्बर 51/29 रकबा 10 बीघा भूमि का कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :- श्री राजेन्द्र रेगर।

प्रकरण संख्या 32/2012

राजस्व ग्राम सालावास के खसरा नम्बर 51/29 की रकबा 10 बीघा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा कृषि आधारित उद्योग प्रस्तावित किया गया है। उक्त भूमि पाली से सालावास सड़क के उत्तर दिशा में मुख्य सड़क स्थित है, जिससे आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-प.10 (73)नवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में कृषि आधारित उद्योग अनुज्ञेय हैं। प्रेषित ले-आऊट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है, योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर सालावास-बोरानाडा सड़क का मार्गाधिकार 160' रखे जाने हेतु सड़क की मध्य रेखा से 80' भूमि एवं प्रश्नगत भूमि के पीछे स्थित राजस्व रास्ते का मार्गाधिकार 60' रखे जाने हेतु रास्ते के मध्य से 30' भूमि छोड़े जाने की शर्त पर आवेदित भूमि का ले-आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। उक्त प्रकरण में प्रस्तावित भूमि को एकल भूखण्ड के रूप में रखा जायेगा और इसमें किसी प्रकार का उप विभाजन नहीं किया जायेगा। प्रस्तावित भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी के अन्तर्गत विद्यमान है, अतः उक्त भूमि पर प्रस्तावित कृषि आधारित लघु उद्योग की भावना के अनुरूप प्रदूषण मुक्त हो, कि सुनिश्चितता के लिये आवेदक से शपथ-पत्र लिया जावे, जिससे इस क्षेत्र का इकोलोजिकल बैलेंस (ECOLOGICAL BALANCE) सुनिश्चित हो सके। प्रकरण में न्यूनतम निर्माण कार्य की शर्त पर सघन वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जावे तथा नियमानुसार कृषि आधारित लघु उद्योग वातावरण मैत्री (ENVIRONMENT FRIENDLY) हो, सुनिश्चित किया जावे।

समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण में स्वीकृति मास्टर प्लान प्रावधानों की भावना के अनुरूप "कृषि आधारित लघु उद्योग" हेतु जारी की जा रही है, अतः नियमानुसार इसकी प्रकृति में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर नियमन स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। साथ ही उक्त भूमि पर प्रस्तावित "कृषि आधारित लघु उद्योग" सक्षम विभाग द्वारा कृषि आधारित लघु उद्योग हेतु निर्धारित श्रेणी के अन्तर्गत ही है, यह सुनिश्चित किया जावे तथा इस बाबत राज्य सरकार द्वारा "कृषि आधारित लघु उद्योग" बाबत जारी समस्त दिशा निर्देशों एवं प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे।

22

पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पहुँच मार्ग हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

34. राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 1888/1475 की रकबा 16 बिस्वा 10 बिस्वांसी का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन।

राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 1888/1475 की रकबा 16 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। प्रश्नगत भूमि एस.एस. डबल्यू.एस. केनाल के सहारे-सहारे स्थित 100' चौड़ी सड़क के दक्षिण दिशा में अन्दर की ओर स्थित है। उक्त आवेदित भूमि की समीपीय भूमियों पर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये हैं तथा पूर्व स्वीकृति के अनुसार आवेदित भूमि के लिए पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। प्रस्तुत ले-आउट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आउट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण कर ले-आउट प्लान स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है, योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर सम्बन्धित उपायुक्त को प्रश्नगत भूमि तक पहुँच मार्ग की उपलब्धता के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

35. राजस्व ग्राम नन्दवान के खसरा नम्बर 252 की रकबा 4 बीघा भूमि पर कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन।
36. राजस्व ग्राम नन्दवान के खसरा नम्बर 252/3 की रकबा 6 बीघा भूमि पर कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन।
37. राजस्व ग्राम नन्दवान के खसरा नम्बर 252/1 की रकबा 4 बीघा भूमि पर कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन।
38. राजस्व ग्राम नन्दवान के खसरा नम्बर 252/4 की रकबा 4 बीघा भूमि पर कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन।
39. राजस्व ग्राम नन्दवान के खसरा नम्बर 252/6 की रकबा 5 बीघा भूमि पर कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन।
40. राजस्व ग्राम नन्दवान के खसरा नम्बर 252/7 की रकबा 4 बीघा भूमि पर कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन।
41. राजस्व ग्राम नन्दवान के खसरा नम्बर 252/8 की रकबा 6 बीघा भूमि पर कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन।

42. राजस्व ग्राम नन्दवान के खसरा नम्बर 252/9 की रकबा 6 बीघा भूमि पर कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन।
43. राजस्व ग्राम नन्दवान के खसरा नम्बर 252/2 की रकबा 5 बीघा भूमि पर कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन।
44. राजस्व ग्राम नन्दवान के खसरा नम्बर 252/5 की रकबा 4 बीघा भूमि पर कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन।
45. राजस्व ग्राम नन्दवान के खसरा नम्बर 252/10 की रकबा 4 बीघा भूमि पर कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन।
46. राजस्व ग्राम नन्दवान के खसरा नम्बर 252/11 की रकबा 4 बीघा भूमि पर कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन।

उक्त कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 35 से 46 तक में अंकित राजस्व ग्राम नन्दवान के खसरा नम्बर 252 के मूल खसरे के विभिन्न बट्टा नम्बर की भूमियाँ जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार नगरीय क्षेत्र से बाहर परन्तु जोधपुर विकास प्राधिकरण के जोधपुर रीजन में स्थित हैं, जिस पर प्रार्थी द्वारा कृषि आधारित उद्योग प्रस्तावित किए गये हैं। उक्त भूमि सालावास से भाण्डू जाने वाली सड़क के दक्षिण दिशा में मुख्य सड़क स्थित हैं, जिससे आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक-प.10 (73)नवि/3/04 जयपुर दिनांक 08.04.05 के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी में कृषि आधारित उद्योग अनुज्ञेय हैं। प्रेषित ले-आउट प्लान पर सम्बन्धित जोन के अमीन द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमियों के ले-आउट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण किया गया है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमियों के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है, योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त हैं।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया कि राजस्व ग्राम नन्दवान के 252 के मूल खसरे की तरमीम मंजू देवी व बाबूलाल के नाम से करवाई जाकर प्रार्थीगण द्वारा कृषि आधारित उद्योग हेतु आवेदन किया गया है। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर सम्बन्धित उपायुक्त को उक्त समस्त प्रकरणों के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

47. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 287/7 रकबा 2बीघा 1 बिस्वा भूमि का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन।
आवेदक: जे के इन्फ्रा
प्रकरण संख्या : 59/2012

48. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 287/8 रकबा 2बीघा 1 बिस्वा भूमि का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन।
आवेदक: जे के इन्फ्रा

49. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 287/9 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन।

आवेदक: जे के इन्फ्रा

प्रकरण संख्या : 60/2012

राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 287/7, 287/8 व 287/9 की भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार व्यावसायिक प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। प्रस्तुत ले-आउट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आउट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण कर ले-आउट प्लान स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है, योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया कि राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 287/7, 287/8 व 287/9 का आवेदक एक ही व्यक्ति है एवं भूमिया भी समीपीय भूमिया ही है। प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत भूमियों पर वाणिज्यिक उपयोग का प्रकार स्पष्ट नहीं किया गया है। समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर सम्बन्धित उपायुक्त को उक्त समस्त प्रकरणों के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर समिति की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।


50. राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 457/3 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन।

आवेदक: डीआर होम डवलपर्स जरिये भागीदार श्री दिनेश बूब वगैरह।

प्रकरण संख्या : 61/2012

राजस्व ग्राम पाल के खसरा नम्बर 457/3 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। उक्त आवेदित भूमि की समीपीय भूमियों पर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा विलेख प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये हैं तथा पूर्व स्वीकृति के अनुसार आवेदित भूमि के लिए पहुँच मार्ग उपलब्ध होता है। प्रस्तुत ले-आउट प्लान पर अमीन, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया है। आवेदित भूमि के ले-आउट प्लान का सहायक नगर नियोजक द्वारा तकनीकी परीक्षण कर ले-आउट प्लान स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है, योजना की भूमि में राजकीय भूमि सम्मिलित नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति में भी नहीं है। मौके पर भूमि रिक्त है।



समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर प्रार्थी के प्रस्तावानुसार प्रश्नगत भूमि पर 60' चौड़े पहुँच मार्ग की मौके पर उपलब्धता के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। समीपीय भूमि के स्वीकृत ले-आऊट प्लान की प्रति समिति के समक्ष प्रस्तुत की जावे। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

51. राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा नम्बर 149, 150, 152/1/1, 152/1/2, 152/2, 152/3, 152, 153, 157, 166/1, 166/2, 166/3 व 167 की रकबा 59.8 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन।

आवेदक:- श्रीमती उन्नती जैन वगैराह।

प्रकरण संख्या 2968/10

राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा नम्बर 149, 150, 151, 152/1/1, 152/1/2, 152/2, 152/3, 152, 153, 166, 166/1, 166/2 व 167 की रकबा 116 बीघा 08 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार परिधि नियन्त्रण पट्टी प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित हैं, जिसका राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक क्रमांक 70/2007, दिनांक 06-07.06.2007 में परिधि नियन्त्रण पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रार्थी द्वारा आवेदन किये जाने पर राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा नम्बर 149 से 153, 152/2, 152/3, 166, 166/1, 166/2 व 167 की रकबा 106 बीघा 08 बिस्वा भूमि का योजना मानचित्र वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर के कार्यालय पत्रांक जेडीजेड:1628:दक्षिण, दिनांक 31.08.2010 को अनुमोदित किया गया।

पत्रावली के उपलब्ध दस्तावेजों से प्रतीत होता है कि सम्भवतः योजना मानचित्र में पूर्व में भी संशोधन किये गये हैं एवं योजना मानचित्र विभिन्न हिस्सों में अनुमोदित किया गया है।

समिति द्वारा विचार-विमर्श कर सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया कि उक्त पत्रावली के सम्बन्ध में विस्तृत टिप्पणी समिति के समक्ष प्रस्तुत करे, जिसमें प्रार्थी का मूल आवेदन, समय-समय पर योजना मानचित्र में किये गये संशोधन, प्रश्नगत भूमि के वे खसरे जिनका राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन किया गया, प्रार्थी द्वारा आवेदित खसरे इत्यादि का उल्लेख हो। उक्त निर्णय बाबत् प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

52. राजस्व ग्राम सालावास के खसरा नम्बर 126/10 की रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि का कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।

आवेदक :- श्रीमती हीरादेवी, श्री राकेश कुमार

प्रकरण संख्या :- 84/2012

राजस्व ग्राम सालावास के खसरा नम्बर 126/10 की रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि का प्रकरण ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 03.10.2012 में विचारार्थ रखे जाने पर समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर सालावास-बोरानाडा सड़क का मार्गाधिकार 160' रखे जाने हेतु सड़क की मध्य रेखा से 80' भूमि छोड़ने के उपरान्त सड़क के दोनों ओर 100'-100'

भूमि वृक्षारोपण हेतु छोड़े जाने एवं अन्य शर्तों पर आवेदित भूमि का ले-आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि सालावास-बोरानाडा सड़क का मार्गाधिकार 160' रखे जाने हेतु सड़क की मध्य रेखा से 80' भूमि छोड़ने के उपरान्त यदि सड़क के दोनो ओर 100'-100' भूमि वृक्षारोपण पट्टी छोड़ी जाती है, तो प्रार्थी की सारी भूमि वृक्षारोपण पट्टी एवं सड़क के मार्गाधिकार में समाहित हो जाती है। प्रार्थी द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि पूर्व में तत्कालीन नगर विकास न्यास द्वारा सालावास-बोरानाडा सड़क का मार्गाधिकार 100' रखते हुए पट्टा विलेख जारी किये गये हैं।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, इस सम्बन्ध में प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रदत्त निर्देश तथा उक्त क्षेत्र में एक बेहतर सड़क प्रतिरूप विकसित करने की समिति की मंशा के मध्यनजर सालावास-बोरानाडा सड़क का मार्गाधिकार 160' रखे जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही सालावास-बोरानाडा सड़क के दोनो तरफ वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किए जाने सम्बन्धी निर्णय पर पुर्नविचार कर 100 फीट चौड़ी वृक्षारोपण पट्टी की शर्त हटाये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रश्नगत प्रकरण में समिति द्वारा विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से सालावास-बोरानाडा सड़क का मार्गाधिकार 160' रखे जाने हेतु सड़क की मध्य रेखा से 80' भूमि छोड़ने एवं समिति की बैठक दिनांक 03.10.2012 के कार्यवाही विवरण में अंकित अन्य शर्तों की पालना की सुनिश्चितता की शर्त पर आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान तदानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पहुँच मार्ग हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

53. राजस्व ग्राम सालावास के खसरा नम्बर 126/9 की रकबा 3 बीघा भूमि का कृषि आधारित उद्योग प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन।
आवेदक :- श्री सोहनलाल, श्री सन्तोष कुमार वगैरह
प्रकरण संख्या :- 85/2012

राजस्व ग्राम सालावास के खसरा नम्बर 126/9 की रकबा 3 बीघा भूमि का प्रकरण ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 03.10.2012 में विचारार्थ रखे जाने पर समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर सालावास-बोरानाडा सड़क का मार्गाधिकार 160' रखे जाने हेतु सड़क की मध्य रेखा से 80' भूमि छोड़ने के उपरान्त सड़क के दोनो ओर 100'-100' भूमि वृक्षारोपण हेतु छोड़े जाने एवं अन्य शर्तों पर आवेदित भूमि का ले-आऊट प्लान अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि सालावास-बोरानाडा सड़क का मार्गाधिकार 160' रखे जाने हेतु सड़क की मध्य रेखा से 80' भूमि छोड़ने के उपरान्त यदि सड़क के दोनो ओर 100'-100' भूमि वृक्षारोपण पट्टी छोड़ी जाती है, तो प्रार्थी की सारी भूमि वृक्षारोपण पट्टी एवं सड़क के मार्गाधिकार में समाहित हो जाती है। प्रार्थी द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि पूर्व में

तत्कालीन नगर विकास न्यास द्वारा सालावास-बोरानाडा सड़क का मार्गाधिकार 100' रखते हुए पट्टा विलेख जारी किये गये है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, इस सम्बन्ध में प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा प्रदत्त निर्देश तथा उक्त क्षेत्र में एक बेहतर सड़क प्रतिरूप विकसित करने की समिति की मंशा के मध्यनजर सालावास-बोरानाडा सड़क का मार्गाधिकार 160' रखे जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही सालावास-बोरानाडा सड़क के दोनो तरफ वृक्षरोपण पट्टी का प्रावधान किए जाने सम्बन्धी निर्णय पर पुर्नविचार कर 100 फीट चौड़ी वृक्षरोपण पट्टी की शर्त हटाये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रश्नगत प्रकरण में सालावास-बोरानाडा सड़क का मार्गाधिकार 160' रखे जाने हेतु सड़क की मध्य रेखा से 80' भूमि छोड़ने एवं समिति की बैठक दिनांक 03.10.2012 के कार्यवाही विवरण में अंकित अन्य शर्तों की पालना की सुनिश्चितता की शर्त पर आवेदित भूमि के ले-आऊट प्लान तदानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करने से पूर्व पहुँच मार्ग एवं मौके पर सड़को की सुनिश्चितता करने तथा पहुँच मार्ग हेतु आरक्षित भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त किया जाकर सम्पदा पंजिका में इन्द्राज करवाने हेतु सम्बन्धित उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उक्त निर्णय बाबत प्रार्थी को सूचित कर दिया जावे।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

निदेशक (आयोजना)
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर।

आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर।

विषय :- ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 09.11.2012 का कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 11 में निर्णय में संशोधन।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि आवेदक श्री रामनिवास वगैराह राजस्व ग्राम मोकलावास के खसरा नम्बर 277/1, 313/1 व 313/2 की रकबा 27 बीघा 15 बिस्वा भूमि का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन का प्रकरण संख्या 51 ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 13.04.2012 में विचारार्थ रखा जाकर योजना मानचित्र के उत्तर-पश्चिमी दिशा में प्रस्तावित 100' चौड़ी सड़क के सहारे-सहारे अन्य सामुदायिक सुविधाओ हेतु स्थल स्थान्तरित करते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त कर ले-आऊट प्लान अनुमोदित किया गया था।

सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रार्थी द्वारा आवेदन कर निवेदन किया है कि उसके प्रस्तावानुसार अन्य सामुदायिक सुविधाओ के लिए आरक्षित स्थल योजना के दक्षिणी भाग में पीछे की तरफ रखा जाकर अनुमोदित किया जावे। प्रार्थी ने इस सम्बन्ध में उप शासन सचिव महोदय को भी अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। उप शासन सचिव-तृतीय के कार्यालय पत्रांक प.3(152)नवि/3/2012, दिनांक 24.09.2012 द्वारा इस सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर विभाग को अवगत करवाने हेतु निर्देशित किया है।

समिति द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर प्रार्थी के प्रस्तावानुसार योजना मानचित्र के दक्षिण-पश्चिमी दिशा में अन्य सामुदायिक सुविधाओ हेतु स्थल हेतु भूमि आरक्षित करते हुए योजना मानचित्र पर आगामी कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया था, परन्तु कार्यवाही विवरण में सहवन से उक्त दिशा उत्तर-पश्चिम दिशा ही अंकित हो गई है। अतः संशोधन आदेश अवलोकनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत हैं।

निदेशक (आयोजना)

आयुक्त महोदय


10/12/12

क्रमांक: एफ-37 / निदे.आयो. / ले-आऊट / 2012 / 1255-1262

दिनांक :- 26.11.2012

ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 09.11.2012 के अनुमोदित कार्यवाही विवरण की प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. निदेशक (अभियान्त्रिकी), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4. निदेशक (विधि), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5. उपायुक्त (पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण), जो.वि.प्रा. जोधपुर।


27/11/12

उप नगर नियोजक,
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर।


कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

क्रमांक: F-37/Dir(P)/LOP/2012/

दिनांक :-


ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 09.11.2012 का कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 11 में निर्णय में संशोधन

ले-आऊट प्लान समिति की बैठक दिनांक 09.11.2012 के कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 11 "राजस्व ग्राम मोकलावास के खसरा नम्बर 277/1, 313/1 व 313/2 की रकबा 27 बीघा 15 बिस्वा भूमि का फार्म हाउस प्रयोजनार्थ ले-आऊट प्लान अनुमोदन" के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय में दिशा का अंकन करते समय सहवन से उत्तर-पश्चिम दिशा अंकित हो गयी है, जिसे दक्षिण-पश्चिम दिशा पढा जावेगा।



निदेशक (आयोजना)

जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर।



आयुक्त


जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर।

क्रमांक: एफ-37/निदे.आयो./ले-आऊट/2012/1298-1306

दिनांक :- 11.12.2012

ले-आऊट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक, दिनांक 09.11.2012 के अनुमोदित कार्यवाही विवरण में संशोधन आदेश की प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. निदेशक (अभियान्त्रिकी), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4. निदेशक (विधि), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5. उपायुक्त (पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण), जो.वि.प्रा. जोधपुर।



सहायक नगर नियोजक,
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर।